# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 142/2018

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्रीमती बाउ देवी पत्नी बुधाराम जाति जाट निवासी शीलगांव तहसील मुण्डवा। | | राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मुण्डवा। |

उपस्थिति :–

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

**निर्णय** दिनांक:17.06.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अंपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 473/2018 सरकार बनाम बाउदेवी में निर्णय दिनांक 02.04.2018 के तहत मौजा शीलगांव के खसरा नं. 886/258 व 533 रकबा 3.10 बीघा गै.मु. बारानी – 2 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.04.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.05.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में प्रकरण संख्या 473/2018 सरकार बनाम बाउदेवी में फर्द अहकाम दिनांक 19.02.18 से 2.4.18 तक की फोटोप्रति, धारा 91 का नोटिस की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति, प्रकरण संख्या 473/2018 सरकार बनाम बाउदेवी में निर्णय दिनांक 2.4.18 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के प्रकरण सं. 353/16 के फर्द अहकाम दिनांक 23.7.16 से 20.2.18 की फोटोप्रति, दावा की फोटोप्रति, नक्शा नया व पुराना की फोटोप्रति, खसरा पत्रक संवत 2015 की फोटोप्रति, जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2019 से 25 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर में पेश आवेदन पत्र की फोटोप्रति, राजस्व अपील सं. 105/18 में प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के प्रकरण सं. 19/18 के फर्द अहकाम दिनांक 10.4.18 से 16.8.18 की फोटोप्रति तथा न्याय आपके द्वार केम्प सीलगांव में पेश की गयी पटवारी सीलगांव की रिपोर्ट की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि

{2}(I)–आदेश जैर अपील अनुचित, विधि विरूद्व तथ्यों परिस्थितियों के विपरीत, बिना साक्ष्य का अवसर दिये अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया है। जो त्रुटिपूर्वक होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–खसरा नं. 886/258 के संपूर्ण रकबा बीघा पर अपीलांट के पति बुधाराम पुत्र रामाराम के साथ उक्त नारायणराम का पुश्तेनी हक खातेदारी कानूनन है व अपीलांट के पति बुधाराम तथा बुधाराम ने उक्त खसरा को अपने हक खातेदारी घोषित करवाने हेतु बाकायदा धारा 80 सीपीसी का नोटिस देकर वाद पेश कर रखा है। उक्त राजस्व वाद के बारे में अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी होते हुए भी इस तथ्य की अनदेखी करते हुए अनुचित निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। साथ ही बुधाराम पुत्र रामाराम के स्थान पर उसकी पत्नी अपीलांट को अनुचित रूप से नोटिस देकर प्रकरण दर्ज किया गया है व एक अन्य प्रकरण नारायणराम के विरूद्व प्रकरण सं. 471/18 दर्ज किया है। जिसकी पृथक से अपील पेश की गई है। अपीलांट के पति का खसरा नं. 886/258 पर कब्जा है व खसरा नं. 533 के किसी भी भू भाग पर अपीलांट या उसके पति बुधाराम का कोई कब्जा अतिक्रमण नही होते हुए भी इस बाबत सरासर मिथ्या रिपोर्ट पटवारी ने पेश कर प्रकरण दर्ज करवा कर आदेश जैर अपील पारित करवाया है तथा तहसीलदार ने इस बाबत कोई जांच किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है। नियमित न्यायालय में दावा चल रहा है। इसलिये नियमित दावा के निर्णय तक इस न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.18 को पेश किये गये जवाब की अनदेखी की है तथा दिनांक 21.03.18 को ऐहलकार नही होने से आगामी तारीख पेशी नियत नही की व तत्पश्चात बिना



अपर कलक्टर, नागौर

अपीलांट को सूचना दिये दिनांक 2.4.18 को अनुपस्थिति दर्ज कर बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये आदेश जैर अपील त्रुटिपूर्वक पारित कर दिया है।

{2}(IV)–खसरा नं. 886/258 के वास्तविक खातेदार काबिज काश्तकार अपीलांट के पति बुधाराम व उक्त नारायणराम एवं अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर नही दिया, पुराने रेकर्ड का अवलोकन नही किया। नाप चोप नही किया है व अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना गलत रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील करने में विधिक त्रुटि की है।

{2}(V)–प्रकरण सं. 473/18 व 471/18 में अपीलांट के पति बुधाराम पुत्र रामाराम को नोटिस दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक होते हुए भी नही दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर पुनः बुधाराम पुत्र रामाराम को नोटिस देकर बुधाराम व नारायणराम द्वारा प्रस्तुत वाद के अंतिम निर्णय तक कोई कार्यवाही नही करने व तत्पश्चात वाद के निर्णय अनुसार प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा शीलगांव में स्थित गै.मु. बारानी–2 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का ग्राम शीलगांव के खसरा नं. 886/258 व 533 रकबा 3.10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट का न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार राजकीय भूमि होना बखूबी साबित है। जहां तक नियमित वाद का प्रश्न है, वो संबंधित न्यायालय द्वारा ही विवाद का निस्तारण किया जा सकता है। इस कार्यालय की कार्यवाही को लेकर कोई रोक हो ऐसा कोई आदेश नही है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आराजी भूमि को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर, (मुख्यालय) नागौर के प्रकरण सं. 19/18 बुधाराम बनाम सरकार में दिनांक 23.05.18 को पारित आदेश की ताजा स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आदेश जैर अपील की पालना की जावे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान